हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)
आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषय :– **कण्डम सामान की नीलामी हेतु शर्ते।**

1. प्रत्येक ग्रुप का सामान/माल जहां और जैसा है, उसी स्थिति के आधार पर बेचा जाएगा।
2. सामान दिनांक 27.06.2022 को कार्यालय समय (9:00AM to 5:00PM) के दौरान देखा जा सकता है।
3. सभी बोलीदाताओं को सामान देखने/बोली के समय सरकार द्वारा कोविड–19 महामारी के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
4. सामान की बोली लगाने का हकदार वही होगा जो 20000/–रुपये धरोहर राशि नकद जमा करवाएगा। अधिकतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष सभी की धरोहर राशि बोली समाप्ति के बाद वापिस कर दी जायेगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि पूरा माल उठाने के बाद व माल की पूरी राशि बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने के बाद ही वापिस की जाएगी।
5. प्रत्येक ग्रुप/सामान की बोली हेतु आरक्षित मूल्य (Reserve Price) निर्धारित किए गए है। इस राशि से कम कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. प्रत्येक सामान की बोली ग्रुप वाईज/आईटम वाईज की जायेगी तथा सफल बोलीदाता को अमुक ग्रुप/आईटम का समस्त सामान लेना होगा।
7. सफल बोलीदाता को तीन दिन के अन्दर–अन्दर माल उठाना होगा और इसकी पूरी धनराशि माल उठाने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी होगी। वजन के आधार पर बिकने वाले सामान की अनुमानित राशि का भुगतान सामान लोड करने से पहले करना होगा तथा शेष भुगतान वजन करवाते ही मौके पर "बोर्ड समिति" को करना होगा। सफल बालीदाता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर माल न उठाने पर बोर्ड कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
8. निर्धारित समय में सफल बालीदाता द्वारा किसी ग्रुप का पूरा माल न उठाने पर बोर्ड कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी व पूरा माल न उठाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष सामान की पुनः बोली कर दी जाएगी।
9. सफल बालीदाता द्वारा निर्धारित समय में सामान की पूर्ण राशि जमा न कराने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, और ऐसे सामान की बोली रद्द करके इसकी पुनः बोली करने का अधिकार बोर्ड सचिव को होगा।
10. सफल बोलीदाता को माल की कीमत पर नियमानुसार सेल्ज टैक्स/वैट/जी0एस0टी0 आदि देना होगा।
11. जो माल सूची में दिखाया गया है, वह कम या अधिक हो सकता है। कितना माल बेचा जाना है, इसका निर्णय बोर्ड सचिव द्वारा किया जायेगा और वह निर्णय अन्तिम होगा व बोलीदाता को मानना होगा।
12. यदि सफल बोलीदाता द्वारा इन शर्तो में से कोई शर्त पूरी नहीं करता है तो सचिव को बोली रद्द करने एंव बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा।
13. बिना कोई कारण बताये बोली को रद्द/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार बोर्ड सचिव को होगा।

हस्ता0/–
सचिव

मै0/हम .... ने सामान की नीलामी की उक्त शर्ते नोट कर ली है तथा ये सभी शर्ते हमें मान्य हैं।

हस्ताक्षर––––––––––––––––––

फर्म का नाम–––––––––––––––

फर्म का पता–––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––